जय जगदीश **जय जगदीश**

जय जगदीश

शिक्षा महाअभियान खाती ग्रुप मध्य भारत 2020-2021

!! फर्म एवं संस्थाएं शिक्षा महाअभियान नियमावली !!

फर्म एवं संस्थाएं के एवं उद्देश्यों का पालन करना सभी सदस्यों को अनिवार्य है। साथ ही संस्था के हित में संस्था के सदस्यों के द्वारा कुछ नियम बनाए गए हैं उनका भी अक्षर से पालन करना अनिवार्य है।

"गुरु शिष्य" शहरी एवं ग्रामीण विकास एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी के अधीन
नियम एवं शर्तें:-

संस्था के सदस्यों की सदस्यता हेतु कुछ सामान्य नियम :-

1. संस्था का निर्माण अच्छे व्यक्ति अच्छे संस्कार,आचार, विचारएवं उच्च विचार रखकर मानव जाति के कल्याण हेतु किया जा रहा है। और यह सब केवल अच्छी शिक्षा से ही संभव है इसलिए सर्वप्रथम शिक्षा के क्षेत्र में पवित्र उद्देश्य को लेकर कार्य का प्रारंभ किया जा रहा है।
2. यह संस्था हमारी मातृ संस्था है इसके प्रारंभ का तो निर्धारित समय है लेकिन यह हमेशा रहेगी इस बात को भी सुनिश्चित किया गया है तेरा वैभव अमर रहे मां हम रहे ना रहे दिन चारों इसी भाव को लेकर यह संस्था मानव सभ्यता के अंत तक रहेगी।
3. संस्था का कोई भी व्यक्ति प्रधान नहीं रहेगा संस्था को ही प्रधान माना गया है संस्था के बनाए गए नियमों का पालन करते हुए अच्छे विचारों के साथ इसमें सदस्य बने रहेंगे।
4. संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सभी सदस्यों को एक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करना होगा।
5. संस्था के छोटे से छोटे कार्य एवं बड़े से बड़े कार्य की विधिवत योजना बनाकर संस्था के सभी सदस्यों की आम सहमति लेकर किया जावेगा।
6. संस्था हमेशा देश काल परिस्थिति मानव सभ्यता एवं समस्त जीव वह मानव जाति के कल्याण हेतु कार्य करेगा जिसमें किसी जीव जंतु या मानव जाति का अहित नहीं किया जाएगा।
7. संस्था की सदस्यता के पूर्व हमारा सामाजिक जीवन कुछ और हो सकता है। लेकिन जब हम संस्था की सदस्यता ले लेंगे तब हमारा जीवन समाज एवं संस्था के हितों को ध्यान में रखकर जीवन जीना है किसी को कठिनाई भी हो सकती हैं । लेकिन अपने आप को परिवर्तित करना होगा।
8. संस्था में आप की सदस्यता के पूर्व आप समाज में बड़े या छोटे निर्धन या धनवान हो सकते हैं। लेकिन जब आप संस्था की सदस्यता ग्रहण कर लेते हैं। उसके पश्चात संस्था की दृष्टि में आप छोटे बड़े निर्धन या धनवान नहीं रहेंगे आपको समानता के भाव से रहना है। और संस्था भी आपको उसी समानता के भाव से देखेगी यह सब सुनिश्चित कर ही आप सदस्यता ग्रहण करें।

9. संस्था में सदस्यता के पूर्व कोई भी व्यक्ति सामाजिक परिवेश में रहकर समाज में अच्छा या बुरा हो सकता है लेकिन सदस्यता के पश्चात अगर वह संस्था के हितों का ध्यान रखते हुए पूर्व में की गई गलतियों को सुधार करते हैं। तो संस्था को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं रहेगी।
10. संस्था की समस्त गतिविधियां पारदर्शी रहेगी व्यक्ति विशेष इस संस्था में कोई निर्णय नहीं लेगा और अगर कोई निर्णय लेता है तो सभी सदस्यों के समक्ष रखेगा और जो संस्था के हित में होगा उसे स्वीकार किया जाएगा।
11. संस्था को श्रेष्ठतम एवं पारदर्शी बनाने के लिए लिखित पंजीयों के साथ-साथ डिजिटल जैसे ऐप एप्लीकेशन, वेबसाइट ,सॉफ्टवेयर आर्थिक लेखा-जोखा आदि के माध्यम से अपडेट रखा जाएगा।
12. संस्था में समय की मांग अनुसार जब भी नियमो मैं किसी प्रकार का परिवर्तन करना पड़ा तो निश्चित रूप से करेंगे।
13. संस्था का आर्थिक प्रबंधन जोकि मूल भाग होता है इसके बिना किसी व्यक्ति या संस्था का संचालन होना संभव नहीं होता और यह प्रबंधन सबसे कठिन भी होता है संस्था नहीं एवं संस्था के सदस्यों ने यह तय किया है की आय का सुनिश्चित प्रबंधन एवं व्यय का सुनिश्चित प्रबंधन हो इसके लिए संस्था के सभी सदस्य की निगरानी ने यह कार्य संपन्न होगा।
14. संस्था आय और व्यय के संचालन हेतु बैंक में खाता खुला जाएगा खाते का संचालन संस्था का कोई एक सदस्य अनिवार्य और दो सदस्य में से कोई एक के हस्ताक्षर से संचालन होगा।
15. संस्था में किसी प्रकार के व्यय हेतु एक नोट शीट तैयार की जाएगी जिसमें समस्त खर्च का विवरण रहेगा और उसमें सभी सदस्यों की स्वीकृति होगी तभी किसी प्रकार का व्यय एवं खर्च किया जाएगा।
16. संस्था साप्ताहिक मासिक त्रैमासिक अर्धवार्षिक एवं वार्षिक बैठक का आयोजन रहेगा जो निम्नानुसार होगा :- सप्ताह का प्रत्येक रविवार, महीने का पहला रविवार, त्रैमासिक बैठक अर्द्ध वार्षिक बैठक एवं वार्षिक बैठक की सूचना लिखित में दी जाएगी जो दिन दिनांक तय होगा उसमें उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
17. **उपरोक्त कार्यकारिणी में कुल 11 सदस्य रहेंगे।**
18. **सदस्यता प्राप्ति** :-प्रत्येक व्यक्ति **सदस्यता** कि समिति का सदस्य बनने का इच्छुक हो लिखित रूप में आवेदन करना होगा। ऐसा आवेदन पत्र प्रबंध कार्यकारिणी समिति को प्रस्तुत होगा। जिसके आवेदन पत्र को स्वीकार करने या अमान्य करने का अधिकार पूर्व में नियुक्त संस्था पदाधिकारी को होगा।
19. **सदस्यता** :-सदस्यता के लिए संस्थाएं फर्म के नियम 5 (अ ब स द) के अनुसार रहेगा।
20. सदस्यों की योग्यता नियम 7 (1234) के अनुसार रहेगी एवं सदस्यता की समाप्ति नियम 8 (12345) के अनुसार रहेगी जो सभी को मान्य होगी ।

21. संस्था में नियुक्ति के दो प्रकार रखे गए हैं जो इस प्रकार हैं पहला वह व्यक्ति जो निस्वार्थ भाव से तन मन धन एवं समर्पण भाव से जो सेवा देना चाहता है एवं दूसरा जो केवल संस्था के पवित्र उद्देश्य देखकर लाभांश हेतु धन देकर व्यापारिक सदस्यता ले सकता है।
22. संस्था में किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति के पूर्व उसका सामाजिक एवं व्यक्तिगत जीवन को ध्यान में रखते हुए ही नियुक्ति दि जावेगी।
23. संस्था किसी भी सदस्य को ग्रुप बनाने या एक से अधिक सदस्य मिलकर बहुमत सिद्ध करने का अधिकार नहीं देती है जिसका पालन सभी सदस्यों को करना अनिवार्य है।
24. संस्था के जो भी सदस्य संस्थाएं फर्म के अनुसार देय राशि के अतिरिक्त राशि संस्था के सहयोग हेतु देगा उसे संस्था के नियमानुसार निर्धारित प्रतिशत प्रतिमाह, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक एवं वार्षिक संस्था के शुद्ध लाभांश में से वितरण किया जावेगा यह निर्णय केवल संस्था के आजीवन सदस्य ही करेंगे।
25. कोई भी सदस्य संस्था को न्यूनतम ₹100000 अधिकतम अपनी सुविधानुसार राशि दे सकते हैं।
26. आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि जो आपने लाभांश हेतु संस्था में जमा की है उक्त राशि को 3 वर्ष के पूर्व वापस नहीं की जावेगी। (चाहे आप उस अवधि में सदस्य हो या नहीं हो)
27. सदस्यों के द्वारा दी गई राशि का लाभांश 3 वर्ष के बाद ले सकेंगे। आप मूल राशि के अतिरिक्त लाभांश राशि संस्था को दान के रुप में स्वेच्छा से दे सकते हैं।
28. संस्था को आप दान के रुप में ₹1 से लेकर अधिकतम कोई सीमा नहीं दान दे सकते हैं।
29. सभी सदस्यों को सर्वविदित है कि यह संस्था शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रही है आप किसी भी सदस्य को दान के रुप में एक छात्र या एक से अधिक छात्र की फीस देकर दान सहयोग कर सकते हैं।
30. कोई भी व्यक्ति संस्था को दी गई सहयोग राशि या लोन राशि को अन्य सामाजिक बंधु के नाम पर हस्थानांतरित कर सकतहै।
31. संस्था के पदाधिकारियों का पद लाभांश का पद नहीं रहेगा लेकिन अगर सदस्य संस्था के अंदर किसी प्रकार का कोई निर्धारित कार्य करता है तो उसके श्रम अनुसार उसको मेहनताना दिया जावेगा।
32. संस्था में किसी भी प्रकार के वाद विवाद को स्थान नहीं दिया गया है ऐसी स्थिति निर्मित होने पर स्वयं सदस्य तय करें कि उसे संस्था के उद्देश्य के साथ रहना है। या स्वयं बिना कोई विवाद किए बाहर जाना है।
33. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में कोई भी संस्था का सदस्य ,दानदाता या लाभांश प्राप्तकर्ता सदस्य क्लेम क्लेम ,ब्लेम ,कानूनी कार्रवाई एवं न्यायालय कार्रवाई नहीं कर सकेगा समस्त वाद विवादों का निपटारा प्रधान कार्यालय एवं आजीवन सदस्यो के द्वारा ही किया जावेगा जो सभी को मान्य होगा।

34. संस्था के विकास के लिए संस्था आरबीआई के द्वारा स्वीकृत वित्तीय संस्था से लोन लेने का एवं उसका भुगतान करने का प्रावधान रखा गया है साथ ही संस्था के विकास के लिए स्वजाति सामाजिक बंधुओं से भी संस्था लोन ले सकती है और मई लाभांश के लोन का भुगतान कर सकती है।
35. संस्था का कार्यक्षेत्र संपूर्ण मध्य भारत रहेगा एवं मध्य भारत के गांव शहर में कई संस्थाओं का निर्माण किया जाएगा उन सभी संस्थाओं को अपनी शुद्ध आई मे से 20% मातृ संस्था (प्रधान कार्यालय) को प्रतिवर्ष देना होगा।
36. सभी संस्थाओं के द्वारा निर्धारित 20% जो प्रधान कार्यालय को प्राप्त होगी उसका उपयोग केवल संस्था के 11 सदस्य ही सर्व सहमति से राशि का उपयोग या खर्च कर सकेंगें।
37. समय की आवश्यकता अनुसार कार्यकारिणी में सदस्य संख्या पढ़ाई या घटाई जा सकती है।
38. उपरोक्त सोसाइटी के सभी सदस्य नियमानुसार आजीवन सदस्य रहेंगे।
39. संस्था एवं फर्म के नियमानुसार इन्हीं सदस्यों में से पदाधिकारी रहेंगे।
40. इन्हीं 11 सदस्यों के नहीं रहने पर उनके पद स्थान पर उनके द्वारा लिखित उत्तराधिकारी संस्था के नियमानुसार योग्य व्यक्ति को ही स्वीकार किया जाएगा।
41. संस्था के द्वारा कार्य के विस्तार के लिए कई प्रकार की कमेटियां एवं पदाधिकारियों की घोषणा की जाएगी किसी भी प्रकार की कमेटी को बनाए रखना या निरस्त करने का अधिकार संस्था के 11 सदस्यों का ही अधिकार रहेगा।

42. सदस्यों का वर्तमान एवं भविष्य

1. **संस्थाके सभी 11 सदस्यों का निर्धारित मानदेय प्रतिमा के हिसाब से रहेगा एवं एक निश्चित उम्र के बाद संस्था के के अनुसार सदस्य की पेंशन का प्रावधान भी रहेगा ताकि वृद्धा अवस्था में उन्हें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़े!**
2. **अगर कोई सदस्य अपनी सदस्यता को हस्थानांतरण करता है या अपने उत्तराधिकारी को सोप देता है तो पेंशन का प्रावधान स्वतः ही निरस्त हो जाएगा।**

43. कार्यक्रम उत्सव

1. **संस्था राष्ट्रीय त्योहारों के साथ-साथ वार्षिक उत्सव सम्मेलन बैठक आदि कार्यक्रमों का प्रतिवर्ष आयोजन होगा। सभी आयोजनों में संस्था द्वारा निर्धारित वेशभूषा (ड्रेस कोड) रहेगा!**
2. **संस्था की साधारण सभा की बैठक एवं अन्य सदस्यों की बैठक मैं ड्रेस कोड अनिवार्य नहीं रहेगा।**
3. **संस्था के सदस्यों की बैठक प्रति महा के प्रथम रविवार को रहेगी जिसमें सभी की उपस्थिति अनिवार्य होगी जिसका समय हमेशा 11:00 से 2:00 बजे तक रहेगा।**

4. **किसी प्राकृतिक कारणों के कारण बैठक में संशोधन करना पड़ा तो उसकी सूचना अलग से दी जाएगी।**
5. **बैठक का संचालन एवं उसकी संपूर्ण प्रक्रिया फर्म संस्थाएं के नियम 19,20 के अनुसार रहेगा।**

44. संस्था के सदस्यों को मिलने वाली "निशुल्क शिक्षा योजना" इस प्रकार रहेगी।

1. **पहले बच्चे की संपूर्ण फीस माफ रहेगी ।**
2. **दूसरे बच्चे की शिक्षा शुल्क माफ रहेगी एवं अन्य फीस लगेगी।**
3. **तीसरे बच्चें का 50% शिक्षण शुल्क रहेगा एवं अन्य शुल्क लगेगा।**
4. **अगर सदस्यों के बच्चों की शिक्षा पूर्ण हो चुकी है तो इस योजना का लाभ अपने पोते पोती की शिक्षा के लिए प्राप्त कर सकते हैं।**

45. <u>आपकी सेवाएं :- आप शिक्षक इंजीनियर डॉक्टर फोटोग्राफर बिल्डर वेब डिजाइनर सॉफ्टवेयर डेवलपर आदि है तो आप संस्था में सदस्यता प्राप्त कर अपनी योग्यता अनुसार किए गए कार्य का लाभ प्राप्त कर सकते हैं एवं आप अपनी सेवा को फ्री में भी दे सकते हैं।</u>

46. <u>वर्तमान में जो भी सदस्य अपनी सेवा दे रहे हैं उन्हें संस्था द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा एवं किसी प्रकार की अनियमितता द्वेष फोन किया गया कार्य संस्था को नुकसान पहुंचाने वाला कार्य किसी को संस्था की एवं संस्था के सदस्यों की गलत जानकारी देकर लोगों को अपने कार्य से भटका ना एवं विचलित करना फूट डालने जैसी स्थिति निर्मित करना इसकी जानकारी लगते ही समस्त प्रूफ के साथ संस्था से बाहर करने का अधिकार रहेगा।</u>

<u>घोषणा पत्र एवं शपथ पत्र</u>

हस्ताक्षर सदस्य

हस्ताक्षर कार्यालय प्रमुख

हस्ताक्षर संस्था सचिव

हस्ताक्षर संस्था अध्यक्ष